



7.07.2020

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न- अटल पेंशन योजना

I. एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया

1. पेंशन क्या है ? मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है ?

पेंशन लोगों को तब मासिक आय प्रदान करती है, जब वह बढ़ती आय के कारण कमाने के लिए कार्यशील नहीं हो पाते हैं।

पेंशन की आवश्यकता क्यों है :

- बढ़ती आय के साथ कमाने के सामर्थ्य में कमी आना
- एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि
- कमाने वाले सदस्यों का मूल निवास स्थान के बाहर प्रवास
- जीवन यापन खर्चों में वृद्धि
- बढ़ती हुई लम्बी आयु
- वृद्धावस्था में किसी अन्य पर वित्तीय निर्भरता कम होने से सम्मानित जीवन

2. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) क्या है ?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केन्द्रित है। एपीवाई के तहत रु.1000/- या रु.2000/- या रु.3000/- या 4,000/- या 5,000/- प्रतिमाह की मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु से प्रदान की जाती है, जो कि अभिदाताओं द्वारा चुने गए पेंशन विकल्प के अंशदानों पर निर्भर करती है।

3. एपीवाई की सदस्यता कौन ले सकता है ?

भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। इसके योग्यता मानदंड निम्नलिखित है :-

- i. अभिदाता की आयु 18-40 वर्ष होनी चाहिए।
- ii. उसका एक बचत खाता, बैंक/डाकघर में होना चाहिए।

संभावी आवेदक, एपीवाई खाते और साथ ही साथ एपीवाई योजना के विषय में समय-समय पर किये गए नवीनीकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक को पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर प्रदान कर सकता है। नामांकन के समय आधार भी प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि इसे भी एपीवाई में अधिसूचित किया गया है।

4. क्या केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारी और/या एनपीएस अभिदाता एपीवाई की सदस्यता ले सकते हैं ?

- हाँ, 18-40 वर्ष के आयु समूह का कोई भी भारतीय नागरिक जो अपने रोज़गार की स्थिति का विचार किये बिना भारत सरकार द्वारा गारंटी युक्त लाभो को प्राप्त करने के लिये एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है।
- इसके अलावा, मौजूदा एनपीएस अभिदाता (सरकारी/संयुक्त उपक्रम/प्राइवेट/कोर्पोरेट) भी एपीवाई की सदस्यता ले सकता है, यदि वह योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गारंटी युक्त लाभो को प्राप्त करने के लिये सामान्य योग्यता मापदंड को पूरा करता/करती है।

5. एपीवाई योजना में शामिल होने पर क्या लाभ हैं ?

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन लाभ की गारंटी सरकार की होगी इसका तात्पर्य है कि अंशदान अवधि के दौरान यदि पेंशन अंशदानों पर अर्जित वास्तविक प्रतिलाभ न्यूनतम गारंटीयुक्त मासिक पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिलाभ से कम होता है तो ऐसी कमी की पूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। दूसरी ओर, यदि अंशदान अवधि के दौरान पेंशन अंशदान पर अर्जित वास्तविक प्रतिलाभ न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिलाभ से अधिक है तो ऐसी वृद्धि, अभिदाता को वर्धित योजना लाभ के रूप में अधिक पेंशन लाभ प्राप्त करने में सहायक होगी।

6. एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है ?

एपीवाई खाता खोलने के लिए जहां व्यक्ति का बचत खाता है, उस बैंक शाखा/डाकघर से संपर्क करें या यदि अभिदाता का बचत खाता नहीं है, तो एक बचत खाता खुलवाएं।

7. योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है ?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को अब आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है, को आधार नंबर होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण के तहत नामांकन करवाना होगा। इसलिए, अभिदाता की उचित पहचान हेतु आधार नंबर प्रदान करना वांछित है।

8. क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूँ?

नहीं, एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता अनिवार्य है।

9. योजना में शामिल होते समय नामांकन करना आवश्यक है ?

हाँ, एपीवाई खाते में नामिति का विवरण प्रदान करना आवश्यक है ।

10. क्या डिफाल्ट नामिति या रक्त संबंध का कोई प्रावधान है ?

यदि अभिदाता अविवाहित है तो वह किसी भी व्यक्ति को नामिति के रूप में नामांकित कर सकता है और विवाह के बाद उनको पति/पत्नी का विवरण प्रदान डिफाल्ट नामिति के लिए प्रदान करना होगा । यदि वह पहले से ही विवाहित है तो उसके पति/पत्नी को डिफाल्ट नामिति माना जाएगा और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को नामिति के रूप में नामांकित करना होगा । पति/पत्नी और नामितियों के आधार विवरण प्रदान किए जा सकते हैं ।

11. मेरे द्वारा कितने एपीवाई खाते खोले जा सकते हैं ?

एक अभिदाता द्वारा केवल एक एपीवाई खाता खोला जा सकता है । एक से अधिक एपीवाई खातों की अनुमति नहीं है ।

12. क्या किसी नाबालिग द्वारा एपीवाई खाता खोला जा सकता है ?

नहीं, एक नाबालिग द्वारा एपीवाई खाता नहीं खोला जा सकता ।

13. यदि, मैं 40 साल की आयु पूरी कर लेता हूँ, तो क्या मैं अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हूँ?

नहीं, मौजूदा स्थिति में एक व्यक्ति जो 18 से 39 वर्ष 364 दिनों के आयु समूह में आता है, अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है ।

14. क्या कोई एनआरआई एपीवाई खाता खोल सकता है ?

हाँ, एनआरआई जो 18-40 वर्ष के आयु समूह में आता हो, जिसका एपीवाई पीओपी के साथ बैंक खाता हो, एपीवाई खाता खोलने के लिए योग्य है ।

15. एपीवाई खाता खोलने के बाद, यदि कोई अभिदाता देश का गैर-निवासी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है । इसलिए, ऐसी स्थिति में वो एपीवाई खाता बंद हो जाएगा और उसके अंशदानों पर अर्जित कुल वास्तविक ब्याज़ (खाता रखरखाव शुल्क की कटौती) के बाद वापस कर दिया जाएगा, जबकि, सरकारी सह-अंशदान और सरकारी सह-अंशदानों पर अर्जित ब्याज़. ऐसे अभिदाता को वापस नहीं किया जाएगा ।

II. एपीवाई के तहत संचयी चरण

16. एपीवाई में एक व्यक्ति को कितनी राशि जमा करनी होगी ?

अंशदान राशि, एपीवाई खाता खोलते समय अभिदाता की आयु, अंशदान की आवृत्ति और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करेगी। इसके संदर्भ के लिए, आयुवार, आवृत्तिवार और पेंशन राशि वार अंशदान तालिका, अनुलग्नक के रूप में प्रदान की गई है।

17. एपीवाई खाते में अंशदान का तरीका और आवृत्ति क्या है ?

अभिदाता के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंतरालों के आधार पर अंशदान का भुगतान किया जा सकता है।

18. एपीवाई के तहत अंशदान की देय तिथि क्या है ?

एपीवाई अंशदान अभिदाता के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से माह की किसी भी तिथि पर संकलित किया जा सकता है। मासिक अंशदान के मामले में, महीने की किसी भी तिथि या त्रैमासिक अंशदान के मामले में, तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक अंशदान के मामले में अर्ध वर्ष के पहले महीने के किसी भी दिन बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते के माध्यम से एपीवाई में अंशदान का भुगतान किया जा सकता है।

19. यदि अंशदान जमा करने में देरी होती है तो क्या होगा ?

यदि देय तिथि पर एपीवाई अंशदान जमा करने में देरी होती है तो अभिदाता से विलंबित अवधि के लिए विलंबन ब्याज लिया जाएगा।

20. विलंबित अंशदान की स्थिति में विलंबन ब्याज की गणना कैसे की जाती है ?

बैंकों को प्रत्येक माह के विलंबित अंशदान के लिए अंशदान की प्रत्येक 100 रुपये की राशि या इसके कुछ भाग पर रु. 1 प्रति माह की राशि लेने की आवश्यकता होगी। संकलित की गई विलंबित ब्याज राशि अभिदाता के पेंशन कोष के रूप में बनी रहेगी। धनराशि की उपलब्धता के अधीन एक से अधिक, मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक राशि प्राप्त की जा सकती है।

21. यदि देय तिथि पर बचत बैंक खाते में आवश्यक या पर्याप्त राशि नहीं है, तो क्या होगा ?

महीने की अंतिम तिथि/तिमाही के पहले माह की अंतिम तिथि/छमाही के पहले माह की अंतिम तिथि पर, जैसा भी मामला हो, अभिदाता के बचत बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने की स्थिति में, इसे भुगतान का अभाव समझा जाएगा और विलंबित अंशदान के लिए विलम्बित ब्याज के साथ अंशदान का अनुवर्ती माह में भुगतान किया जाएगा। धनराशि की उपलब्धता के अधीन एक से अधिक, मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक राशि प्राप्त की जा सकती है।

22. नियमित चूक की स्थिति में एपीवाई खाते का क्या होगा ?

अभिदाता के एपीवाई खाते से आवधिक तौर पर खाता रखरखाव शुल्क और अन्य सम्बंधित शुल्क की वसूली के लिए तब तक कटौती की जाती रहेगी जब तक यह शून्य नहीं हो जाता।

23. एपीवाई में किये गए अंशदान को किस प्रकार निवेशित किया जाता है ?

एपीवाई के अंतर्गत किये गए अंशदान को पीएफआरडीए द्वारा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन योजना/एपीवाई, के लिए निर्धारित निवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशित किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित अंशदानों को निवेशित किया जाता है और निधियों को पेंशन निधियों, जो कि एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई द्वारा प्रायोजित होती हैं, द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

III. एपीवाई के तहत अभिदाता सम्बंधी सेवाएं

24. एपीवाई अभिदाता के लिए कौन सी नई विशेषताएं उपलब्ध हैं ? क्या यह विशेषताएं ऑनलाइन रूप से भी उपलब्ध हैं ?

उभरती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) ने नई क्रियात्मकताओं को उपलब्ध कराया है, जो निम्न तालिका में वर्गीकृत हैं।

पीएफआरडीए द्वारा इन क्रियात्मकताओं के लिए डिजिटल सुविधाएं भी आनलाईन उपलब्ध करायी गई हैं ताकि अभिदाता बैंक/ डाकघर शाखा में जाए बिना अपने खाता देख सके। यह गुण एपीवाई अभिदाताओं को सशक्त बनाएंगे और निम्नानुसार खाता सम्बंधी गतिविधियों को करने में लाभ प्रदान करेगा।

क्र.सं.		लाभ	डिजिटल सुविधाएं
1	अपग्रेड/डाउनग्रेड	एपीवाई के तहत, अभिदाता को रु.1000/-, 2,000/-, 3000/-, 4000/- और 5,000/- प्रतिमाह की मासिक पेंशन का चुनाव करना होता है, जो अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में प्राप्त होगी। तदनुसार, अभिदाता द्वारा चुनी गई आवृत्ति अर्थात् मासिक/त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक के अनुसार अंशदान की कटौती उसके बैंक खाते में से की जाएगी। पीएफआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, एपीवाई अभिदाता के पास पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड करने का विकल्प है। अभिदाता को पेंशन राशि बदलने का विकल्प 1 जुलाई, 2020 से पूरे वित्तीय वर्ष में केवल एक बार प्राप्त होगा।	एपीवाई अपग्रेड/एपीवाई डाउनग्रेड दृश्य
2	प्रान कार्ड प्रिंटिंग	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अभिदाता के पास ईएनपीएस पोर्टल पर जाकर भौतिक प्रान कार्ड की सुविधा को चुनने का विकल्प है। अब, अभिदाताओं को यह जानकारी प्रदान करने के लिए कि कैसे प्रान कार्ड प्रिंट किया जाए, एक निर्देश लिंक दिया जाता है। अभिदाता द्वारा एक बार ईएनपीएस पोर्टल पर मौजूद अटल पेंशन योजना मेन्यू पर क्लिक करने पर यह लिंक उपलब्ध हो जाता है।	ई प्रान कार्ड /ई सोट सुविधा : लेन-देन विवरण और ईप्रान कार्ड डाउनलोड करने के लिए उपयोगी है। इस विकल्प में प्रान के साथ और प्रान के बिना खोज की जा सकती है। अभिदाता वित्तीय वर्ष के अनुसार लेनदेन विवरण डाउनलोड कर सकते हैं।

3.	एपीवाई खाता ज़ारी रखना	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ज़ारी अधिसूचना F.No.16/1/2015-PR दिनांकित 22 मार्च, 2016 और पीएफआरडीए निकास दिशानिर्देशों के अनुसार, अभिदाता की मृत्यु के मामले में अभिदाता का पति/पत्नी के पास खाते को ज़ारी रखने का विकल्प है। अब, सीआरए प्रणाली में एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहाँ खाता ज़ारी रखने के लिए अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा किए गये अनुरोध को, एपीवाई सेवा प्रदाताओं द्वारा अभिदाता पंजीकरण क्रियात्मकता के रूप में संसाधित किया जाएगा। एपीवाई खाता निम्नलिखित विकल्पों के साथ ज़ारी रखा जा सकता है : 60 वर्ष की आयु से पूर्व, अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी के नाम पर नया प्रान ज़ारी किया जाएगा और पति/पत्नी को शेष अवधि अर्थात् जब तक मूल/मृतक अभिदाता की आयु के 60 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते, अंशदान ज़ारी रख सकता है। मूल/मृतक अभिदाता के पति/पत्नी को वह समान राशि का अंशदान करने की अनुमति होगी, जो पूर्व में मूल/मृतक अभिदाता द्वारा चुनी गई थी। अभिदाता के एपीवाई खाते में शेष जमा राशि, पति/पत्नी के एपीवाई खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अभिदाता के पति/पत्नी को उसके बचत बैंक खाते में से अंशदान करने की अनुमति होगी।	लागू नहीं है
----	---------------------------	--	--------------

4	अभिदाता पंजीकरण	पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, एपीवाई के तहत सभी नए अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए एफएटीसीए अनुपालन अनिवार्य है। एफएटीसीए अनुपालन का पालन करने के लिए, सम्बंधित एफएटीसीए श्रेणी(यों) को अभिदाता पंजीकरण फाइल प्रारूप में शामिल किया गया है। यह निम्नलिखित मापदंड के अनुसार, एपीवाई के तहत सभी प्रकार के अभिदाता नामांकन तरीके पर लागू है : 1. नए अभिदाता पंजीकरण 2. एनपीएस लाइट स्वावलम्बन से एपीवाई में स्थानांतरित होना 3. अभिदाता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी जो एपीवाई खाता जारी रखे	ईएनपीएस पर एपीवाई (एपीवाई में डिजिटल रूप से शामिल होने की सुविधा) ईएनपीएस के माध्यम से डिजिटल एपीवाई नामांकन व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह एक प्रयोक्ता अनुकूल मंच है और संभावित अभिदाताओं द्वारा भौतिक प्रपत्र प्रस्तुत किए बिना और बैंक शाखा पर आए बिना पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से एपीवाई के तहत नामांकन करता है।
5	सीजीएमएस	एपीवाई-एसपीज़ को सीआरए लाग-इन में सम्बंधित अभिदाताओं की ओर से प्रश्न करने/शिकायत करने की सुविधा है। क्रियात्मकता के भाग के रूप में एपीवाई-एसपी के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे : शिकायत सम्बंधी अनुरोध दर्ज करना शिकायत समाधान शिकायत की स्थिति देखना शिकायत देखना तथा उसे आगे सौंपना शिकायत की अंतिम स्थिति देखना	एपीवाई शिकायत मॉड्यूल
6	मोबाइल एप्लिकेशन	एपीवाई मोबाइल एप्लिकेशन अभिदाताओं को उनके एपीवाई खाते के विवरण और अन्य विवरण देखने के लिए सशक्त बनाता है।	स्मार्ट फोन वाले एपीवाई अभिदाता गूगल प्ले स्टोर से सर्व विकल्प में एपीवाई और एनपीएस लाइट लिखते हुए एपीवाई मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या उमंग एप्लिकेशन को एपीवाई खाते के वास्तविक रूप देखने के लिए अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। एपीवाई मोबाइल एप एपीवाई अभिदाताओं के लिए निशुल्क उपलब्ध है, जहाँ मौजूदा 5 अंशदान देखे जा सकते हैं और लेनदेन विवरण और ई-प्रान भी बिना किसी शुल्क के

			किसी भी समय डाउनलोड किया जा सकता है।
--	--	--	--------------------------------------

अभिदाता उपरोक्त सुविधाओं को देखने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जा सकते हैं

<https://www.npscra.nsdl.co.in/scheme-details.php>

25. क्या एपीवाई के तहत विभिन्न फार्म आनलाइन रूप से उपलब्ध है ?

हाँ, एपीवाई के तहत विभिन्न फार्म <https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php> पर जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं।

26. क्या कोई ऐसा विकल्प होगा जिससे ज्यादा और कम पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए मासिक अंशदान को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।

क) अभिदाता संचयन अवधि के दौरान वर्ष में एक बार पेंशन राशि को घटाने अथवा बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है।

ख) पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए, अभिदाताओं को मासिक चक्रवृद्धि आधार पर 8 % की दर से अंशदान की राशि का भुगतान करना होगा जबकि घटाने के मामले में, अभिदाता से संकलित की गई अंशदान की अतिरिक्त राशि अभिदाताओं को उस पर जारी रिटर्न्स के साथ वापस कर दी जाएगी।

ग) त्रुटिपूर्ण मामलों के अलावा बढ़ाने या घटाने के लिए, अभिदाता को 50 रुपये का शुल्क देना होगा, जो पीओपी-एपीवाईएसपी और सीआरए द्वारा सामान रूप से साझा किया जाएगा।

27. मैं अपने अंशदान की स्थिति के बारे में कैसे जान सकूंगा/सकूंगी ?

एपीवाई अभिदाता को प्रान चालू होने, खाते में मौजूद शेष राशि, अंशदान जमा इत्यादि से सम्बंधित जानकारी समय-समय पर एसएमएस अलर्ट के द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी या इसे एनएसडीएल द्वारा आरम्भ की गई एपीवाई/उमंग एप पर देखा जा सकता है। अभिदाता को एक वित्त वर्ष में एक बार खाते के विवरण की भौतिक प्रति पंजीकृत पते भी भेजी जाएगी।

28. क्या मुझे संव्यवहार विवरणी प्राप्त होगी ?

हाँ, एपीवाई खाते की वार्षिक संव्यवहार विवरणी अभिदाता को उसके पंजीकृत पते पर उपलब्ध कराई जाएगी।

29. यदि मैं अपने निवास स्थान/शहर में परिवर्तन करता/करती हूँ, तो मैं अपने एपीवाई खाते में अंशदान कैसे करूंगा/करूंगी ?

निवास स्थान/स्थान में परिवर्तन होने पर भी ऑटो डेबिट के जरिये एपीवाई अंशदान बिना किसी बाधा के जमा किया जा सकेगा। क्योंकि अंशदान संकलन बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा, जो कि सीबीएस सक्षम है, अभिदाता निवास स्थान परिवर्तन होने पर भी, उसी बचत बैंक खाते से अंशदान कर सकता है।

30. यदि मैं एपीवाई का मौजूदा अभिदाता हूँ, तो क्या मैं अपनी सुविधानुसार ऑटो- डेबिट सुविधा को तिमाही या अर्द्धवार्षिक के रूप में बदल सकता हूँ ?
हाँ, अभिदाता वर्ष में एक बार ऑटो- डेबिट सुविधा के तरीके (मासिक/त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक) को बदल सकता है।

31. क्या कोई एपीवाई योजना के लिए कोई हेल्पलाइन नम्बर है, जहाँ एपीवाई योजना से सम्बंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?
हाँ, एपीवाई योजना के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-110-069 है।

IV. एपीवाई के तहत कराधान और शुल्क

32. क्या मैं एपीवाई योजना के तहत आयकर लाभ प्राप्त कर सकता हूँ ?

अधिसूचना संख्या 7/2016.F.No.173/394/2015-ITA-I दिनांकित 19 फरवरी, 2016 के अनुसार एपीवाई के तहत एनपीएस के समान ही आयकर लाभ उपलब्ध हैं। मौजूदा आयकर दाता जो 18 से 40 वर्ष के हैं, अपना पंजीकरण एपीवाई में करा सकते हैं।

33. एपीवाई खाते के रखरखाव में कौन से शुल्क और प्रभार शामिल हैं ?

एपीवाई के सभी प्रभार और शुल्क सम्बंधी तालिका

मध्यवर्ती	प्रभार	एपीवाई अभिदाताओं पर लागू शुल्क और प्रभार	कटौती का तरीका
केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)	खाता खुलवाने का शुल्क	रु. 15	इकाईयों के निरस्तीकरण द्वारा।
	प्रति खाता वार्षिक खाता रख रखाव शुल्क	एनएसडीएल रु.25 कार्वी रु.14.40	

	प्रति लेनदेन शुल्क	निःशुल्क	
उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)/एपीवाई-एसपी	प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण और अंशदान अपलोड	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	आगामी लेन-देन	लागू नहीं है	
	नियमितता >6 महीने और रु. अंशदान रु.1000	लागू नहीं है	
	ईएनपीएस के माध्यम से अंशदान	लागू नहीं है	
न्यासी बैंक		शून्य	
अभिरक्षक	निवेश प्रबंधन शुल्क	इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक भाग के लिए एयूएम का 0.0032% प्रतिवर्ष ।	निवल आस्ति मूल्य में समायोजन ।
पेंशन निधि प्रबंधक	निवेश प्रबंधन शुल्क	एयूएम का 0.0102% ।	निवल आस्ति मूल्य में समायोजित ।
पीओपी और सीआरए	अपग्रेड/ डाउनग्रेड करने के लिए	रु.50 (पीओपी और सीआरए द्वारा समान रूप से बांटा जाता है	

v. एपीवाई के तहत निकास

34. एपीवाई से निकासी की प्रक्रिया क्या है?

अभिदाता को गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन अथवा यदि निवेश प्रतिलाभ एपीवाई में सन्निहित गारंटीयुक्त प्रतिलाभों से अधिक है तो अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए सम्बंधित बैंक/डाकघर के पास अनुरोध जमा कराना होगा । अभिदाता को सफलतापूर्वक अनुरोध जमा हो जाने के बाद, उसके अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन प्राप्त होगी । अभिदाता की मृत्यु के बाद, मासिक पेंशन पति/पत्नी (डिफॉल्ट नामिति) को देय होगी । अभिदाता और डिफॉल्ट नामिति दोनों की मृत्यु के बाद, मूल अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक के लिए, नामिति पेंशन कोष प्राप्त करने के लिए योग्य होगा ।

35. क्या एपीवाई योजना से 60 वर्ष की आयु से पूर्व निकास किया जा सकता है ? यदि, हाँ, तो इसके क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

हाँ, एपीवाई के तहत 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वैच्छिक निकासी की अनुमति है । अभिदाता को केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया अंशदान और उस पर अर्जित मूल वास्तविक ब्याज़ (खाता रखरखाव शुल्क की कटौती) ही प्राप्त होगा ।

हालांकि, उन अभिदाताओं के मामले में जो योजना में 31 मार्च 2016 के पूर्व शामिल हुए हैं और सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया है, यदि 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वैच्छिक निकासी करते हैं, तो उनको सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त नहीं होगा।

36. 60 वर्ष की आयु से पूर्व किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके साथी को क्या प्राप्त होगा ?

विकल्प 1 : 60 वर्ष की आयु से पूर्व अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु होने पर, अभिदाता के पति/पत्नी को अभिदाता के एपीवाई खाते, जो कि पति/पत्नी के नाम से चलाया जाएगा, में निर्धारित बची हुई अवधि, जब तक कि अभिदाता की आयु 60 वर्ष न हो जाए, के लिए अंशदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अभिदाता का पति/पत्नी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, अभिदाता के समान पेंशन राशि आजीवन प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा एपीवाई खाता और पेंशन राशि, अभिदाता के पति/पत्नी को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधा है, चाहे उसके नाम पर भी एक एपीवाई खाता हो और पेंशन राशि हो।

विकल्प 2 : एपीवाई के अंतर्गत समग्र संचित राशि को पति/पत्नी/नामिति को लौटा दिया जाएगा।

37. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एपीवाई योजना के तहत क्या लाभ हैं ?

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिदाता को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे :

- (i) **गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन राशि :** 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, प्रत्येक अभिदाता को रु.1000 प्रतिमाह या रु.2000 प्रतिमाह या या रु.3000 प्रतिमाह या रु.4000 प्रतिमाह या रु.5000 प्रतिमाह की गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
- (ii) **पति/पत्नी के लिए गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन राशि:** अभिदाता की मृत्यु होने पर अभिदाता का पति/पत्नी अभिदाता के समान आजीवन मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य होगा।
- (iii) **अभिदाता के नामिति को पेंशन संपत्ति वापस करना :** अभिदाता और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर नामिति, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित की गई पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए योग्य होगा।

VI. एनपीएस स्वावलम्बन और एपीवाई

38. क्या एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन योजना से एपीवाई योजना में स्थानांतरण संभव है?

18-40 वर्ष के स्वावलम्बन अभिदाता एपीवाई में स्थानांतरित हो सकते हैं।

39. एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन योजना से एपीवाई योजना में स्थानांतरित होने की क्या प्रक्रिया है ?

सभी योग्य स्वावलम्बन अभिदाता जो एपीवाई में स्थानांतरित होना चाहते हैं, एपीवाई में स्थानांतरित होने के लिए नामांकन फार्म भर सकते हैं और इसे प्रान कार्ड की प्रतिलिपि के साथ अपने निकटतम एपीवाई सेवा प्रदाता को पंजीकरण हेतु जमा कर सकता है। पंजीकरण के बाद, अभिदाता को बैंक शाखा में भेजा जाएगा। स्वावलम्बन योजना के तहत उपलब्ध प्रान राशि को एपीवाई योजना में टी+1 आधार पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

40. एपीवाई योजना में स्थानांतरित होने के बाद एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन योजना में पहले से ही संचित अंशदान का क्या होगा ?

18-40 वर्ष वाली आयु समूह के एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन अभिदाता, जो एपीवाई में स्थानांतरित हो चुके हैं, के संचित कोष को समान प्रान के तहत रखा जाएगा और यह निकास के समय तक अतिरिक्त सम्पत्ति के रूप में बना रहेगा। इस राशि को अभिदाता को उच्च पेंशन लाभ या एकमुश्त राशि, या जैसा भी मामला हो, के रूप में दिया जा सकता है। एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन से स्थानांतरित होने के बाद एपीवाई के तहत ऐसे अभिदाताओं का अंशदान, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित राशि, चुनी गई पेंशन राशि और अभिदाता की आयु के आधार पर होगा।

41. क्या एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन अभिदाता योजना से निकास कर सकते हैं ?

हाँ, एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन योजना के तहत आने वाले अभिदाता, जो योजना में शामिल नहीं रहना चाहते, योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निकास कर सकता है और संपूर्ण राशि एकमुश्त रूप से वापस ले सकता है य योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु तक योजना में बना रह सकता है।

VII. सोशल मीडिया में एपीवाई

42. क्या एपीवाई से सम्बंधित जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है ?

हाँ, सोशल मीडिया पर निम्नलिखित लिंक्स पर एपीवाई पृष्ठ उपलब्ध हैं :

फेसबुक <https://www.facebook.com/OfficialAPY/>

पीएफआरडीए पृष्ठ उपलब्ध है :

- **लिंकडइन** <https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of-india-051614168/?originalSubdomain=in>
- **एपीवाई की पाठशाला का यूट्यूब लिंक** -https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-O6ipH1J_HTfU17ug
- **यूट्यूब** <https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-LDevIWCwYu15Q>
- **ट्वीटर** <https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en>

VIII. विविध

43. कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत सरकार/ पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई के ऑटो- डेबिट को बंद करने के सम्बंध में कोई कदम उठाए गए हैं ?

कृपया, "एपीवाई अंशदान के लिए 30 जून तक ऑटो- डेबिट की सुविधा बंद रखने" सम्बंधी विषययुक्त परिपत्र संख्या PFRDA/2020/8/P&D दिनांकित 11.04.2020 देखिए । इसके अतिरिक्त ऑटो- डेबिट 1 जुलाई, 2020 से आरम्भ होगा । यदि अप्रैल, 2020 से अगस्त 2020 तक के एपीवाई अंशदान दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक नियमित हो जाते हैं, तो अभिदाता से कोई दांडिक ब्याज़ नहीं लिया जाएगा ।

44. कितने वर्षों तक सरकार सह-अंशदान देगी?

भारत सरकार का सह-अंशदान, अभिदाताओं के लिए 5 वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-20 के लिए उपलब्ध है, जो योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान शामिल हुए हैं और जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत शामिल नहीं है और आयकरदाता नहीं है । पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा योग्य अभिदाताओं को सरकारी सह-अंशदान देय होंगे, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण-एनएसडीएल से पुष्टि होने पर कि अभिदाता द्वारा सम्बंधित वित्त वर्ष के लिए सभी किश्तें भर दी हैं । ऐसे मामलों में, सरकारी सह-अंशदान अभिदाता के बचत बैंक खाते में जमा होगा जो कि कुल एपीवाई अंशदान का 50% होगा, जो एक वित्त वर्ष के अंत में रु.1000/- की अधिकतम सीमा के अधीन है । हालांकि, कुछ राज्य सरकारें अपने सम्बंधित राज्यों में एपीवाई अभिदाताओं के लिए उनकी अधिसूचनाओं के अनुसार सह-अंशदान कर रही हैं ।

एपीआई के अंतर्गत अलग-अलग व्यक्तियों में शामिल होने पर अलग-अलग न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन राशि के लिए मासिक, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक अंशदान तथा नामिति को कॉपीराइट राशि वापस करना

		1000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			2000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			3000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			4000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन			5000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन		
नामित को कॉपीराइट राशि की वापसी		1.7 लाख रुपए			3.4 लाख रुपए			5.1 लाख रुपए			6.8 लाख रुपए			8.5 लाख रुपए		
शामिल होने के समय आयु	निवेश अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्द्ध-वार्षिक अंशदान
18	42	42	125	248	84	250	496	126	376	744	168	501	991	210	626	1239
19	41	46	137	271	92	274	543	138	411	814	183	545	1080	228	679	1346
20	40	50	149	295	100	298	590	150	447	885	198	590	1169	248	739	1464
21	39	54	161	319	108	322	637	162	483	956	215	641	1269	269	802	1588
22	38	59	176	348	117	349	690	177	527	1045	234	697	1381	292	870	1723
23	37	64	191	378	127	378	749	192	572	1133	254	757	1499	318	948	1877
24	36	70	209	413	139	414	820	208	620	1228	277	826	1635	346	1031	2042
25	35	76	226	449	151	450	891	226	674	1334	301	897	1776	376	1121	2219
26	34	82	244	484	164	489	968	246	733	1452	327	975	1930	409	1219	2414
27	33	90	268	531	178	530	1050	268	799	1582	356	1061	2101	446	1329	2632
28	32	97	289	572	194	578	1145	292	870	1723	388	1156	2290	485	1445	2862
29	31	106	316	626	212	632	1251	318	948	1877	423	1261	2496	529	1577	3122
30	30	116	346	685	231	688	1363	347	1034	2048	462	1377	2727	577	1720	3405
31	29	126	376	744	252	751	1487	379	1129	2237	504	1502	2974	630	1878	3718
32	28	138	411	814	276	823	1629	414	1234	2443	551	1642	3252	689	2053	4066
33	27	151	450	891	302	900	1782	453	1350	2673	602	1794	3553	752	2241	4438
34	26	165	492	974	330	983	1948	495	1475	2921	659	1964	3889	824	2456	4863
35	25	181	539	1068	362	1079	2136	543	1618	3205	722	2152	4261	902	2688	5323
36	24	198	590	1169	396	1180	2337	594	1770	3506	792	2360	4674	990	2950	5843
37	23	218	650	1287	436	1299	2573	654	1949	3860	870	2593	5134	1087	3239	6415
38	22	240	715	1416	480	1430	2833	720	2146	4249	957	2852	5648	1196	3564	7058
39	21	264	787	1558	528	1574	3116	792	2360	4674	1054	3141	6220	1318	3928	7778
40	20	291	867	1717	582	1734	3435	873	2602	5152	1164	3469	6869	1454	4333	8581



17.06.2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - ATAL PENSION YOJANA

I. OPENING OF APY ACCOUNT

1. What is pension? Why do I need it?

A Pension provides a monthly income to the people during their unproductive years.

Need for Pension:

- Decreased income earning potential with age.
- The rise of nuclear Family
- Migration of earning members.
- Rise in cost of living.
- Increased longevity.
- Dignified life in the old age due to less financial dependence.

2. What is Atal Pension Yojana?

Atal Pension Yojana (APY), a pension scheme launched by Government of India is focused on the unorganized sector workers. Under the APY, minimum guaranteed pension of Rs. 1,000/- or 2,000/- or 3,000/- or 4,000 or 5,000/- per month will start after attaining the age of 60 years depending on the contributions by the subscribers for their chosen pension amount

3. Who can subscribe to APY?

Any Citizen of India can join APY scheme. The following are the eligibility criteria: -

- (i) The age of the subscriber should be between 18 and 40 years.
 - (ii) He / She should have a savings bank account/ post office savings bank account
- The prospective applicants may provide mobile number to the bank during their Enrolments under APY to receive periodic updates on their APY account as well as on APY scheme. Aadhaar may also be provided at the time of enrolment as APY scheme is notified for the same.

4. Whether an employee of Central/State Government or Public Sector Undertaking and/or a NPS subscriber can subscribe to APY?

- YES, any Indian citizen within the age group of 18 - 40 years, can join APY Scheme irrespective of his/her employment status with Govt./Public Sector, for availing benefits guaranteed by Government of India under the scheme.
- Further, an existing NPS subscriber can also subscribe to APY, if he/she meets the basic eligibility criteria, for availing benefits guaranteed by Government of India; under the scheme.

5. What are the benefits of joining APY scheme?

The benefit of minimum pension under Atal Pension Yojana would be guaranteed by the Government in the sense that if the actual realized returns on the pension contributions are



less than the assumed returns for minimum guaranteed pension, over the period of contribution, such shortfall shall be funded by the Government. On the other hand, if the actual returns on the pension contributions are higher than the assumed returns for minimum guaranteed pension, over the period of contribution, such enhanced scheme benefits shall be passed on to the subscribers.

The Government of India had co-contributed 50% of the total contribution or Rs. 1000 per annum, whichever is lower, to each eligible subscriber, who joined the scheme during the period 1st June, 2015 to 31st March, 2016 and who is not a beneficiary of any social security scheme and is not an income tax payer. The Government co-contribution will be given for 5 years from the Financial Year 2015-16 to the Financial Year 2019-20.

6. What is the procedure for opening APY Account?

Approach the bank branch/ post office where individual's savings bank account is held or open a savings account if the subscriber doesn't have one.

7. Whether Aadhaar Number is compulsory for joining the scheme?

Atal Pension Yojana (APY) has now been included under the Section 7 of the Aadhaar Act. As per the provisions of the Act, any individual who is eligible to receive such benefits under the APY will have to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo enrolment under Aadhaar authentication. Hence, it is desirable to provide Aadhaar Number for proper identification of the subscriber

8. Can I open APY Account without savings bank account?

No, the savings bank account/ post office savings bank account is mandatory for joining APY.

9. Is it required to furnish nomination while joining the scheme?

Yes. It is mandatory to provide nominee details in APY account.

10. Is there any provision of default nominee or blood relation?

If the subscriber is Unmarried they can nominate any other person as nominee and they have to provide spouse details after marriage. If married, the spouse will be the default nominee. The Aadhaar details of spouse and nominees may be provided.

11. How many APY accounts I can open?

A subscriber can open only one APY account. Multiple APY accounts are not permitted.

12. Can minor open APY account?

No. A minor cannot open an APY account.

13. If I have completed 40 years, can I join Atal Pension Yojana?

No, currently a person who is in age group of 18 years to 39 years 364 days can join Atal Pension Yojana.



14. Whether NRI is eligible to open APY Account?

Yes, NRI in the age group 18-40 years of age having a bank account with APY POP is eligible to open APY account.

15. After opening of APY account, what will happen if a subscriber becomes non-citizen of the country?

The scheme is open to the Indian citizens only. Hence, in that event the APY account will be closed and the net actual interest earned on his contributions (after deducting the account maintenance charges) will be refunded, whereas, the Government co-contribution, and the interest earned on the Government co-contribution, shall not be returned to such subscribers.

II. ACCUMULATION PHASE UNDER APY

16. What amount one needs to contribute towards APY?

The contribution amount shall depend on the age of the subscriber at the time of opening of APY account, frequency of contribution and the pension slab chosen. The age wise, frequency wise and pension slab wise contribution table is provided as Annexure for reference.

17. What is the mode and frequency of contributions to the APY account?

The contributions can be made at monthly / quarterly / half yearly intervals through auto debit facility from savings bank account/ post office savings bank account of the subscriber.

18. What is the due date for contribution under APY?

APY contributions will be collected through auto-debit of their savings bank account/ post office savings bank account on any date of the particular month, in case of monthly contributions or any day of the first month of the quarter, in case of quarterly contributions or any day of the first month of the half year, in case of half-yearly contributions.

19. What will happen if the contribution gets delayed?

Subscriber will be charged overdue interest for the delayed period in case the APY contribution gets delayed beyond the due date.

20. How the overdue interest is calculated in case of delayed contribution?

Banks are required to collect Rs. 1 per month for contribution of every Rs. 100, or part thereof, for each delayed monthly contributions. The overdue interest amount collected will remain as part of the pension corpus of the subscriber. More than one monthly / quarterly / half yearly contribution can be recovered subject to availability of the funds.

21. What will happen if required or sufficient amount is not maintained in the savings bank account for contribution on the due date?

In case of inadequate balance in the saving account of the subscriber till the last date of the month / last date of the first month in a quarter / last day of the first month in a half year, as the case may be, it will be treated as a default and contribution will have to be paid in the subsequent month along with overdue interest for delayed contributions. More than one



monthly / quarterly / half yearly contribution can be recovered subject to availability of the funds.

22. What will happen to APY account in case of continuous default?

Deduction would continue to be made in the subscriber's APY account for account maintenance charges and other related charges on a periodic basis till it becomes zero.

23. How the contributions are invested in APY?

The contributions under APY are invested as per the investment guidelines prescribed by PFRDA for Central Government / State Government / NPS-Lite / Swavalamban Scheme / APY. The contributions thus collected are invested and the funds are managed by namely SBI Pension Fund Pvt. Ltd, LIC Pension Fund Ltd, UTI Retirement Solution Ltd.

III. SUBSCRIBER RELATED SERVICES UNDER APY

24. What are the new functionalities available to an APY subscriber? Whether these functionalities are available online?

As per the evolving needs, Central Recordkeeping Agency (CRA) appointed by PFRDA has developed and made available the new functionalities categorized in the table below.

PFRDA has also enabled digital utilities for these functionalities available online to facilitate subscribers to access their Account without visiting the bank/post branch. These features are expected to benefit APY Subscribers and empower them to carry out Account related activities as described below.

Sr. No.	Module	Usage of Functionality	Digital Utility Available Online
1	Upgrade/Downgrade	Under APY, the Subscriber is required to select the minimum pension of Rs. 1,000/-, 2,000/-, 3,000/-, 4,000 and 5,000/- per month that will be given at the age of 60 years depending on the contributions by the Subscribers. Accordingly, the contribution is deducted from Subscriber's Bank Account as per the frequency opted i.e. monthly/quarterly/half yearly. As per PFRDA guidelines, APY Subscribers have an option to upgrade/downgrade the opted pension amount. The window period to change the pension amount is available to Subscriber only once throughout the year from 1 st July, 2020.	APY Upgrade /APY Downgrade View

2	PRAN Card Printing	Atal Pension Yojana (APY) Subscribers have an option to opt for physical PRAN Card by accessing eNPS portal. Now, an instruction Link has been provided to Subscribers to know how to Print APY PRAN Card. This link is available once Subscriber clicks on Atal Pension Yojana menu available on eNPS portal.	ePRAN card/e SoT facility: Useful for downloading of transaction statement and ePRAN card. The option contains a search with PRAN and without PRAN. The subscriber can download Transaction Statement financial year wise.
3	Continuation of APY Account	As per <u>Notification F. No. 16/1/2015-PR dated 22nd March, 2016</u> issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance and PFRDA exit guidelines under APY, a spouse of the Subscriber has an option to continue his/her APY account in case of death of the Subscriber. Now, feature has been enabled in the CRA system wherein request for continuation of account by spouse can be processed as part of Subscriber Registration functionality by APY Service Providers. The continuation of APY account by spouse will be with below options : 1. In case of death of Subscriber before 60 years, new PRAN will be generated in the name of Spouse and spouse will be allowed to contribute for the remaining period i.e. till the date on which original/deceased subscriber would have attained the age of 60 years 2. Spouse will be allowed to contribute same amount as earlier opted by the original/deceased subscriber. 3. The balance units available in subscriber's APY account will be transferred to the APY account of spouse.	NA

		4. Spouse will be allowed to contribute from his/her own Savings Bank account.	
4	Subscriber Registration	As per PFRDA guidelines, FATCA compliance is mandatory for all new subscriber's enrolment under APY. To adhere to FATCA compliance, related FATCA field(s) has been incorporated in Subscriber Registration file format. This is applicable for all the types of subscriber's enrolments under APY, as per below mentioned criteria: 1. New Subscriber Registration 2. Subscriber migrating from NPS Lite-Swavalamban to APY 3. Spouse who continue APY account on death of Subscriber	APY@eNPS (Digital On boarding facility into APY): Digital APY enrolment through eNPS ensures wider reach. It is a user friendly platform and makes enrolment under APY in a complete end to end digital interface without submission of physical form by the prospective subscribers and without visiting a bank branch.
5	CGMS	The APY-SPs have facility to raise queries/grievances on behalf of associated Subscribers in the CRA login. As part of functionality, APY-SPs will have below options: 1. Log Grievance request 2. Grievance resolution 3. Grievance status view 4. View and Assign grievance 5. Grievance Master status view	APY Grievance Module
6	Mobile Application	APY Mobile applications empower the subscribers to view Statement of Account and other details of their APY account.	APY subscribers with smart phones can down load APY mobile applications from Google Play store by typing 'APY and NPS Lite' in search option and installing in their mobile phones for real time viewing of APY Accounts. The APY mobile



			application is available for APY users free of cost, where, recent 5 contributions can be checked and transaction statement and e-PRAN can also be downloaded anytime without paying any charge.
--	--	--	--

The subscribers may visit the following link for accessing the above features
<https://www.npscra.nsdl.co.in/scheme-details.php>

25. Whether various forms under APY are available online?

Yes, various Forms under APY can be accessed online at <https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php>

26. Will there be any option to increase or decrease the monthly contribution for higher or lower pension amount?

- Yes, a subscriber can opt to decrease or increase pension amount during the course of accumulation phase, once a financial year.
- For upgradation, the subscribers have to pay the differential amount of contribution at the rate of 8% p.a. on monthly compounding basis whereas in the case of down gradation, the excess amount of contribution collected from the subscriber would be refunded to the subscribers along with the returns generated.
- For upgradation or down gradation, other than error cases, the subscribers would be required to pay a fee of Rs. 50, which will be shared equally by PoP-APYSP and CRA.

27. How will I know the status of my contribution?

The periodical information to the subscribers regarding activation of PRAN, balance in the account, contribution credits etc. will be intimated to APY subscribers by way of SMS alerts on the registered mobile number or can be accessed through mobile/APY app launched by NSDL. The subscriber will also be receiving physical Statement of Account once a financial year at their registered address

28. Will I get any statement of transactions?

YES. The physical statement of APY account will be provided to the subscribers annually at the registered address.



29. **If I move my residence / city, how can I make contributions to APY account?**
The APY contributions will continue to collected through auto debit of the same Savings Account uninterruptedly even in case of change of residence / location. As contribution collection is done through bank account which is CBS enabled, subscriber can continue contributing through same savings bank account, even if the residence is changed.
30. **If I am an existing subscriber of APY, can I change my monthly auto debit facility to Quarterly or Half Yearly as per my convenience?**
Yes, the subscriber can change the mode (monthly/ quarterly/half yearly) of auto debit Facility once in a year..
31. **Is there any helpline number dedicated to APY Scheme where queries related to APY Scheme can be addressed?**
Yes, the Toll Free Helpline number for APY Scheme is **1800-110-069**

IV. TAXATION AND CHARGES UNDER APY

32. **Will I get any tax benefits under APY Scheme?**
Tax benefits available under NPS scheme are same under APY Scheme as per **Notification No. 7 /2016, F.No.173/394/2015-ITA-I dated 19th Feb, 2016**
33. **What are the fee and charges involved in maintaining the APY account?**

Table of all charges and fees of APY

Intermediary	Charge head	Applicable fees and charges levied on APY subscribers	Method of collection of charges
Central Recordkeeping Agency (CRA)	PRA Opening charges	Rs. 15	Cancellation of units.
	Annual PRA Maintenance cost per account	NSDL Rs.25 or Karvy Rs. 14.40	
	Charge per transaction	Free	
Points of Presence (PoP)/ APY SPY	Initial subscriber registration and contribution upload	NA	NA
	Any subsequent transactions	NA	



	Persistency > 6 months & Rs.1000 contribution	NA	
	Contribution through eNPS	NA	
Trustee Bank		NIL	
Custodian	Asset Servicing charges	0.0032% per annum for Electronic segment & Physical segment	Adjusted in Net Asset Value
Pension Fund charges	Investment Management Fee	0.0102% per annum of AUM	Adjusted in Net Asset Value
NPS Trust	Reimbursement of Expenses	0.005% per annum of AUM	Adjusted in Net Asset Value
POP and CRA	For upgradation or down gradation	Rs. 50 (shared equally by PoP and CRA)	

V. EXIT UNDER APY

34. **What is the withdrawal procedure from APY?**

The subscribers will submit the request to the associated bank/Post office for drawing the guaranteed minimum monthly pension or higher monthly pension, if investment returns are higher than the guaranteed returns embedded in APY. Upon successful submission of the request, the subscriber receives monthly pension depending on the contributions by the subscriber. The same amount of monthly pension is payable to spouse (default nominee) upon death of subscriber. Nominee will be eligible for return of pension wealth accumulated till age 60 years of the subscriber, upon death of both the subscriber and spouse.

35. **Whether exit from APY Scheme is permitted before 60 years of age? If yes, what are the benefits?**

Yes, Voluntary exit under APY before 60 years of age is permitted.

The subscriber shall only be refunded the contributions made by him to APY along with the net actual accrued income earned on his contributions (after deducting the account maintenance charges).

However, in case of subscribers who joined the scheme before 31st March 2016 and received Government Co-Contribution shall not receive the Government co-contribution and the accrued income earned on the same, if opted for Voluntary exit before 60 years.



36. What one will get in case of death before 60 years?

- **Option 1:** In case of death of the subscriber before 60 years, option will be available to the spouse of the subscriber to continue contribution in the APY account of the subscriber, which can be maintained in the spouse's name, for the remaining vesting period, till the original subscriber would have attained the age of 60 years. The spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount as the subscriber until death of the spouse. Such APY account and pension amount would be in addition to even if the spouse has his/her APY account and pension amount in own name.
- **Option 2:** The entire accumulated corpus till date under APY will be returned to the spouse / nominee.

37. What are the benefits under APY Scheme upon exit on attaining 60 years?

The subscriber shall receive the following three benefits on attaining the age of 60:

- (i) **Guaranteed minimum pension amount:** Each subscriber under APY shall receive a Government of India guaranteed minimum pension of Rs. 1000 per month or Rs. 2000 per month or Rs. 3000 per month or Rs. 4000 per month or Rs. 5000 per month, after the age of 60 years until death.
- (ii) **Guaranteed minimum pension amount to the spouse:** After the subscriber's demise, the spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount as that of the subscriber, until the death of the spouse.
- (iii) **Return of the pension wealth to the nominee of the subscriber:** After the demise of both the subscriber and the spouse, the nominee of the subscriber shall be entitled to receive the pension wealth, as accumulated till age 60 years of the subscriber.

VI. NP-S SWAVALAMBAN AND APY

38. Is migration from NPS Lite/ Swavalamban Scheme to APY possible?

The Swavalamban Subscribers between 18 to 40 years of age are eligible to migrate to APY.

39. What is the process of migration from NPS Lite/ Swavalamban Scheme to APY?

The eligible swavalamban subscribers who wish to migrate to APY shall fill up the enrollment form for migration to APY and submit the same along with the copy of PRAN card to the nearest APY Service Provider for registration. Subsequent to the registration, the subscriber will be mapped to the bank branch. The PRAN amount balance under Swavalamban Scheme will be shifted to APY Scheme on T+1 basis.

40. What will happen to the contribution already accumulated under NPS Lite/ Swavalamban Scheme after migration to APY?

The accumulated corpus of existing NPS Lite/Swavalamban subscriber between the age group of 18 and 40 years, who get migrated to APY will be kept under the same PRAN and remain as an additional wealth of the subscriber till the time of exit. This additional amount



may be given to the subscriber as enhanced pension benefit or as lump-sum withdrawal, as the case may be. The contribution of such subscribers under APY, after migration from the NPS Lite/Swavalamban Scheme to APY, would be as per the amount mentioned in the Annex –I, depending on the pension amount selected and the age of the subscriber.

41. Whether NPS Lite/ Swavalamban Subscriber can exit from the Scheme?

Yes, the subscribers under the NPS Lite/Swavalamban Scheme who do not wish to continue under the Scheme may exit from the scheme as per the guidelines applicable and withdraw the entire amount in lump sum or may prefer to continue till the age of 60 years to be eligible for benefits as per the scheme.



VII. APY IN SOCIAL MEDIA

42. **Whether information related to APY is available on social media?**

Yes, APY pages are available on social media on the following links:

- **Facebook**-<https://www.facebook.com/OfficialAPY/>

PFRDA page available at:

- **Linkedin**-<https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of-india-051614168/?originalSubdomain=in>
- **Youtube**-<https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-LDeyIWCwYu15Q>
- **APY Ki Pathshala on Youtube**- <https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-O6ipH1J-HTfU17ug>
- **Twitter**-<https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en>



VIII. Miscellaneous

43. Is there any steps taken by Govt of India/ PFRDA regarding stoppage of auto-debit for APY contributions considering the outbreak of COVID-19 pandemic?

Kindly refer PFRDA's circular No: PFRDA/2020/8/P&D-APY/1. dated 11.04.2020 with the subject "Stoppage of Auto-debit for APY contributions till 30th June, 2020". Further, auto-debit will start from 1st July, 2020. If APY contributions from April, 2020 to August, 2020 get regularised by 30th Sept, 2020; then no penal interest would be charged to the subscriber.

44. For how many Years the Government will co-contribute?

The co-contribution of the Government of India is available for 5 years, i.e., from the Financial Year 2015-16 to 2019-20 for the subscribers, who join the scheme during the period from 1st June, 2015 to 31st March, 2016 and who are not covered by any Statutory Social Security Scheme and are not income tax payers. The Government co- contribution would be payable to the eligible subscribers by the Pension Fund regulatory and Development Authority (PFRDA), after receiving the confirmation from Central Record Keeping Agency-NSDL to the effect that the subscriber has paid all the instalments for the concerned financial year. In such cases, Government co-contribution will be credited in subscriber's savings bank account/ post office savings bank account which would be 50% of the total APY contribution, subject to a maximum of Rs 1000/-, at the end of financial year. However, some State Governments also make co-contribution to for APY subscribers in their respective states, as per their notifications.

Annex – 1

Monthly, Quarterly and Half-yearly prescribed contributions under APY for different minimum guaranteed amount of pension at different entry age and the return of corpus amount to the nominee

		Minimum Guaranteed Pension of Rs. 1000/month			Minimum Guaranteed Pension of Rs. 2000/month			Minimum Guaranteed Pension of Rs.3000/month			Minimum Guaranteed Pension of Rs.4000/month			Minimum Guaranteed Pension of Rs.5000/month		
Return of Corpus Amount to the Nominee		Rs. 1.7 Lakh			Rs. 3.4 Lakh			Rs. 5.1 Lakh			Rs. 6.8 Lakh			Rs. 8.5 Lakh		
Age at entry	Vesting period	Monthly contribution	Quarterly contribution	Half yearly contribution	Monthly contribution	Quarterly contribution	Half yearly contribution	Monthly contribution	Quarterly contribution	Half yearly contribution	Monthly contribution	Quarterly contribution	Half yearly contribution	Monthly contribution	Quarterly contribution	Half yearly contribution
18	42	42	125	248	84	250	496	126	376	744	168	501	991	210	626	1239
19	41	46	137	271	92	274	543	138	411	814	183	545	1080	228	679	1346
20	40	50	149	295	100	298	590	150	447	885	198	590	1169	248	739	1464
21	39	54	161	319	108	322	637	162	483	956	215	641	1269	269	802	1588
22	38	59	176	348	117	349	690	177	527	1045	234	697	1381	292	870	1723
23	37	64	191	378	127	378	749	192	572	1133	254	757	1499	318	948	1877
24	36	70	209	413	139	414	820	208	620	1228	277	826	1635	346	1031	2042
25	35	76	226	449	151	450	891	226	674	1334	301	897	1776	376	1121	2219
26	34	82	244	484	164	489	968	246	733	1452	327	975	1930	409	1219	2414
27	33	90	268	531	178	530	1050	268	799	1582	356	1061	2101	446	1329	2632
28	32	97	289	572	194	578	1145	292	870	1723	388	1156	2290	485	1445	2862
29	31	106	316	626	212	632	1251	318	948	1877	423	1261	2496	529	1577	3122
30	30	116	346	685	231	688	1363	347	1034	2048	462	1377	2727	577	1720	3405
31	29	126	376	744	252	751	1487	379	1129	2237	504	1502	2974	630	1878	3718
32	28	138	411	814	276	823	1629	414	1234	2443	551	1642	3252	689	2053	4066
33	27	151	450	891	302	900	1782	453	1350	2673	602	1794	3553	752	2241	4438
34	26	165	492	974	330	983	1948	495	1475	2921	659	1964	3889	824	2456	4863
35	25	181	539	1068	362	1079	2136	543	1618	3205	722	2152	4261	902	2688	5323
36	24	198	590	1169	396	1180	2337	594	1770	3506	792	2360	4674	990	2950	5843
37	23	218	650	1287	436	1299	2573	654	1949	3860	870	2593	5134	1087	3239	6415
38	22	240	715	1416	480	1430	2833	720	2146	4249	957	2852	5648	1196	3564	7058
39	21	264	787	1558	528	1574	3116	792	2360	4674	1054	3141	6220	1318	3928	7778
40	20	291	867	1717	582	1734	3435	873	2602	5152	1164	3469	6869	1454	4333	8581